बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग,

कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या–व.सं. / 61 / 2022 -826

प्रेषक,

अरविन्दर सिंह, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

मुख्य प्रबंधक (प्रोजेक्ट पाईपलाईन),
नुमालीगढ़ रिफाईनरी लि0,
122A जी0 एस0 रोड़ चिरिसिटानबस्ती, गुवाहाटी। पटना 14, दिनांक– 30/10/2024

विषय – भागलपुर, कटिहार, पूर्णियाँ अररिया एवं किशनगंज जिलान्तर्गत नुमालीगढ़ रिफाईनरी लि० द्वारा पारादीप–नुमालीगढ़ Crude Oil अन्दर ग्राउन्ड पाईप लाईन बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.42541 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग – भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय राँची का पत्रांक FP/BR/Pipeline/154538/2022/638 दिनांक 14.10.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) द्वारा भारत सरकार ने विषयाधीन परियोजना के निर्माण हेतु 0.42541 हेक्टेयर वन भूमि के अपयोजन के प्रस्ताव पर दो भाग (भाग–A एवं B) में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की है। सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के भाग–A में 1–6 शर्तें तथा भाग–B में 1–10 शर्तें अधिरोपित है जिसका कंडिकावार अनुपालन आपके स्तर से अपेक्षित है।

2. सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के भाग–A के शर्त्त संख्या 1 के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या 03 दिनांक 01.11.2017 द्वारा निर्धारित मानक दर एवं वर्त्तमान मजदूरी पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु रू० 9,17,845 / – (रूपये नौ लाख सत्तरह हजार आठ सौ पैतालीस) मात्र का प्राक्कलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, अररिया द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

उक्त राशि का आकलन वर्त्तमान मजदूरी दर रू० 412 / प्रतिमानव दिवस पर किया गया है। श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा समय–समय पर मजदूरी दर में किये जाने वाले वृद्धि के फलस्वरूप क्षतिपूरक वनीकरण मद की राशि संभावित वृद्धि के साथ भुगतेय होगा।

3. सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के भाग–A के शर्त्त संख्या 2 के आलोक में परियोजना निर्माण के क्रम में 0.42541 हेक्टेयर अपयोजित होने वाली वन भूमि का NPV की राशि 9.57780 लाख रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से कुल रू० 4,07,449 / – (रूपये चार लाख सात हजार चार सौ उनचास) मात्र NPV के मद में प्रयोक्ता एजेन्सी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार को उपलब्ध कराएगी।

4. **उपर्युक्त CA एवं NPV मद की कुल राशि रू० 13,25,294 / – (रूपये तैरह लाख पच्चीस हजार दौ सौ चौरानवें) मात्र को मंत्रालय द्वारा विकसित, परिवेश पोर्टल पर बिहार राज्य के लिये निर्धारित "CAMPA Bihar Account में" जमा कराई जाय।**

5. उक्त जमा की गयी राशि से संबंधित UTR No. एवं अन्य विवरणी को **परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जाय,** साथ ही जमा की गयी राशि का UTR No एवं दिनांक इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय।

6. उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रसंगाधीन पत्र के भाग–A में सन्निहित 1–6 शर्त्तें तथा भाग–B में सन्निहित 1–10 शर्त्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए समेकित प्रतिवेदन इस कार्यालय को यथाशीघ्र समर्पित करने की कृपा की जाय ताकि भारत सरकार से विषयाधीन मामले में अन्तिम स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई की जा सके।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

30/10/24

(अरविन्दर सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।